भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3733

16.03.2026 को उत्तर के लिए

फसल अवशेष जलाने का प्रभाव

3733. श्री अधिकारी दीपक देव :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभावों से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पड़ोसी राज्यों सहित देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस प्रकार की हानिकारक प्रथाओं का ब्यौरा क्या है, और पहल की गई हैं?

(ग) ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करने और फसल अवशेष जलाने के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): पिछली फसल की कटाई के बाद अगली फसल की बुवाई के लिए फसल अवशेषों को जलाने की प्रक्रिया से एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया है। उत्तर भारत में, विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में, सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक को खराब करने के फसल अवशेष जलाने की प्रथा समाप्त करने और कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

i. फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाली सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके की जाती है, जो कि कृषि भौतिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी और मॉडलिंग पर अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम फॉर रिसर्च एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एवं मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (सीआरईएएमएस) प्रयोगशाला द्वारा उपग्रह डेटा का उपयोग करके फसल

अवशेष जलाने से होने वाली आग की घटनाओं के आकलन के लिए मानक प्रोटोकॉल का पालन करती है।

ii. किसानों को फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन और धान के पुआल का विभिन्न अनुप्रयोगों में एक्स-सीटू उपयोग जैसे वैकल्पिक उपायों की सुविधा प्रदान की जाती है। इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में कुशल और किफायती मशीनीकृत साधनों फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के माध्यम से धान के अवशेषों को खेत में ही मल्चिंग/मिलाना शामिल है।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार द्वारा धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की गई है।

इस योजना के तहत, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी किसान), किसान सहकारी समितियों (कृषि/बागवानी/मखाना आदि), डे-एनआरएलएम क्लस्टर लेवल फैडरेशनस और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को हायर एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर और टेलीहैंडलर जैसी मशीनरी और उपकरणों की पूंजी लागत पर अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक 65% की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को व्यापक रूप से जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी राज्यों और आईसीएआर को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018-19 से 2025-26 की अवधि के दौरान (10.03.2026 तक), 4237.47 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राज्यों ने प्रत्येक किसानों को 3.53 लाख से अधिक मशीनें वितरित की हैं और राज्यों में 43535 से अधिक सीएचसी स्थापित किए हैं।

iii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन सीएक्यूएम अधिनियम, 2021 के तहत दिनांक 23.04.2021 की अधिसूचना के अनुसार किया गया है। जिसका उद्देश्य एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के साथ-साथ इससे

जुड़े मामलों पर विचार करना है। सीएक्यूएम द्वारा क्षेत्रवार कार्रवाइयों/कार्यकलापों, निर्धारित लक्ष्यों और चरणबद्ध समय-सीमाओं (अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक) का विस्तृत विवरण देने वाली एक व्यापक नीति तैयार की गई और जुलाई 2022 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों, एनसीआर राज्य सरकारों, जीएनसीटीडी और पंजाब सरकार सहित विभिन्न हितधारकों को आवश्यक कार्रवाई और कार्यान्वयन के लिए जारी की गई। फसल अवशेष जलाने सहित विभिन्न योगदान देने वाले क्षेत्रों को चरणबद्ध समय-सीमाओं के साथ लक्षित कार्य योजनाएं निर्धारित की गई हैं।

iv. सीएक्यूएम ने दिनांक 09.05.2025 के निर्देश 90 के माध्यम से छोटे/सीमांत किसानों के लिए सीआरएम मशीनों की किराया-मुक्त उपलब्धता की योजना बनाने का निर्देश दिया।

v. सीएक्यूएम ने निर्देश संख्या 92 दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान के भूसे पर आधारित बायोमास पेलेट्स/ब्रिकेट्स के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्देश दिया, ताकि धान के पराली जलाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके।

vi. सीएक्यूएम ने 01.10.2025 को निर्देश संख्या 95 जारी कर पंजाब हरियाणा, राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपायुक्तों/जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदार नोडल अधिकारियों और पर्यवेक्षी अधिकारियों तथा स्टेशन हाउस अधिकारियों और अधिकारियों की निष्क्रियता के मामले में, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया है।

vii. सीएक्यूएम ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांटों को बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोयले के साथ बायोमास आधारित पेलेट्स, टोरेफाइड पेलेट्स/ब्रिकेट्स को साथ-जलाने (5-10% तक) के निर्देश जारी किए हैं।

viii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 11.07.2023 की अधिसूचना (यथा संशोधित) के माध्यम से पर्यावरण (थर्मल पावर प्लांट द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 को अधिसूचित किया, जिसमें एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में थर्मल पावर प्लांटों द्वारा कोयले के साथ फसल अवशेषों से बने पेलेट्स या ब्रिकेट का न्यूनतम पांच प्रतिशत मिश्रण अनिवार्य किया गया है, ऐसा न करने पर उक्त नियमों में उत्पादित बिजली की प्रति इकाई के

हिसाब से थर्मल पावर प्लांटों के विरुद्ध एक निश्चित राशि का पर्यावरणीय मुआवजा निर्धारित किया गया है।

ix. सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एनसीआर से बाहर के जिलों में स्थित सभी ईंट भट्टों में धान के भूसे पर आधारित बायोमास पेलेट्स/ब्रिकेट्स का उपयोग अनिवार्य करें, ताकि धान की पराली जलाने की प्रथा को समाप्त किया जा सके।

X केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान के भूसे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के अंतर्गत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

XI सीपीसीबी की 31 फ्लाइंग स्क्वाड को 1.10.2025 से 30.11.2025 तक पंजाब और हरियाणा के चिन्हित हॉटस्पॉट जिलों में तैनात किया गया है ताकि वे पराली जलाने की कार्यकलापों की बारीकी से निगरानी कर सकें और जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/सीएक्यूएम प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। ये टीमें दैनिक अपडेट, फोटोग्राफिक साक्ष्य और अनुपालन स्थिति प्रदान करती हैं।

उपर्युक्त उपायों/कार्रवाई के अतिरिक्त, सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, जिसमें पराली जलाने से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं, से निपटने के लिए की गई कार्रवाइयों की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की है।

समन्वित प्रयासों के चलते, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने वर्ष 2025 में धान की कटाई के मौसम के दौरान पराली को आग लगाने की घटनाओं में वर्ष 2022 की इसी अवधि की तुलना में सामूहिक रूप से 90% से अधिक की कमी दर्ज की है।
